<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 109/2019 **दायर दिनांकः 19/07/2019**

उनवान

1 जगदीश सिंह पुत्र श्री रघुराज सिहं जाति राजपूत निवासी देवलीरावान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थितिः–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 17/02 /2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के सामलाती खाते एवं कब्जे की वाके ग्राम एवं माल देवलीरावान तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 37 की ख0 नं0 15, 18/161, 28/172, 29, 40, 41, 50, 54, 57, 87/189, 88, 95/163, 112, 113, 122, 126 की कुल रकबा 8.1100 है0 कुल किता 16 है। आराजी खातेदारान में दर्ज खाता चली आ रही है। जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की नकल वाद पत्र में साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम मुरारी सिंह दर्ज हो गया। वादी का नाम सही जगदीश सिंह है फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादी का नाम जगदीश सिंह ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुरारी सिंह व अन्य पहचान पत्रों, एवं राशन कार्ड मे वादी का नाम जगदीश सिंह दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह दर्ज करने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:55:30 IST
Reason: SelfAttested

तो उन्होने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम मुरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादी को अनेकानेक परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। ऋण आदि प्राप्त नही कर सकता जिससे आर्थिक रूप से पिछड जायेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उसका नाम मूरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किये जावे। विकल्प में निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मुरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावें। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषण नाम संशोधन का होने से श्री मान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम मूरारी सिंह दर्ज होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से मूरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह दर्ज करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 5/07/2019 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पैश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर परमाई जावेः–

(अ)– राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम मुरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिहं घोषित किया जाकर जमाबन्दी मे मुरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह दर्ज किया जावे विकल्प मे निवेदन है कि मुरारी सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब)– अन्य न्यायाचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:55:30 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_1 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि रिकार्ड अनुसार वादी के शामलाती खाते में नाम मूरारी सिंह के स्थान पर रिकार्ड अनुसार सही नाम जगदीश सिंह अंकित किया जावें।

प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, में जगदीश सिंह नाम अंकित है। तथा कार्यालय ग्राम पंचायत रीछन्दा के प्रमाण पत्र दिनांक 17.03.2020 अनुसार मुरारी सिंह पुत्र रघुराज सिंह का सही नाम रिकार्ड व व्यक्तिगत रूप से जगदीश सिंह पुत्र रघुराज सिंह है, में इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूॅ।

रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का सही नाम जगदीश सिंह पुत्र रघुराज सिंह दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल देवलीरावान तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 37 की ख0 नं0 15, 18/161, 28/172, 29, 40, 41, 50, 54, 57, 87/189, 88, 95/163, 112, 113, 122, 126 की कुल किता 16 रकबा 8.11 है0 में खातेदार मुरारी सिंह के स्थान पर मुरारी सिंह उर्फ जगदीश सिंह दर्ज किये जाने आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:55:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 109/2019

उनवान

1 जगदीश सिंह पुत्र श्री रघुराज सिहं जाति राजपूत निवासी देवलीरावान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल देवलीरावान तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 37 की ख0 नं0 15, 18/161, 28/172, 29, 40, 41, 50, 54, 57, 87/189, 88, 95/163, 112, 113, 122, 126 की कुल किता 16 रकबा 8.11 है0 में खातेदार मुरारी सिंह के स्थान पर मुरारी सिंह उर्फ जगदीश सिंह दर्ज किये जाने आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:55:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)